रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-09012025-260067
SG-DL-E-09012025-260067

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 2, 2025/पौष 12, 1946	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 316
No. 4]	DELHI, THURSDAY, JANUARY 2, 2025/PAUSHA 12, 1946	[N. C. T. D. No. 316

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गृह पुलिस–III विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 2 जनवरी, 2025

फा. सं. 3/03/हेस्मा/2017/गृह पुलिस–II/03-13—जबकि, गृह विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की दिनांक 03.07.2024 की अधिसूचना सं0 फा0 3/03/हेस्मा/2017/गृह पुलिस–II/1529-1539 द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल बिजली की आपूर्ति एवं वितरण में लगे हुए बीएसईएस राजधानी पॉवर लिमिटेड (बीआरपीएल), बीएसईएस यमुना पॉवर लिमिटेड (बीवाईपीएल), टाटा पॉवर दिल्ली डिस्ट्रीब्युशन लिमिटेड (टीपीडीडीएल) तथा डीटीएल, आईपीजीसीएल, पीपीसीएल (सरकारी पॉवर कॉरपोरेशन) के बिजली कर्मचारियों तथा इंजीनियरों की सेवाओं को आवश्यक सेवाओं के रूप में घोषित करते हैं तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लोगों के लिए आवश्यक सेवाओं के अनुरक्षण हेतु ऐसे कर्मचारियों और इंजीनियरों के हड़ताल को प्रतिबंधित करते हैं। उक्त अधिसूचना दिनांक 03.01.2025 तक वैध है।

और जबकि, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल आगे इस बात से संतुष्ट हैं कि जनहित में बीएसईएस राजधानी पॉवर लिमिटेड (बीआरपीएल), बीएसईएस यमुना पॉवर लिमिटेड (बीवाईपीएल), टाटा पॉवर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (टीपीडीडीएल) तथा डीटीएल, आईपीजीसीएल, पीपीसीएल (सरकारी पॉवर कॉरपोरेशन) के इंजीनियरों तथा बिजली कर्मचारियों (नियमित के साथ–साथ आउटसोर्स/संविदा पर आधारित दोनों) द्वारा की जाने वाली हड़ताल/आन्दोलन को प्रतिबंधित करना आवश्यक एव ंसमीचीन है।

अब, इसलिए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 30.7.93 की अधिसूचना सं0 जी एस आर 526(ई) के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तक यथा विस्तारित हरियाणा आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम, 1974 (1974 का हरियाणा अधिनियम सं0 40) की धारा 3 के साथ पठित धारा 4क के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद् द्वारा उपर्युक्त सेवाओं को आवश्यक सेवाओं के रूप में घोषित करते हैं तथा दिल्ली में बिजली सेवा प्रदाताओं बीएसईएस राजधानी पॉवर लिमिटेड (बीआरपीएल), बीएसईएस यमुना पॉवर लिमिटेड (बीवाईपीएल), टाटा पॉवर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (टीपीडीडीएल) तथा डीटीएल, आईपीजीसीएल, पीपीसीएल (सरकारी पॉवर कॉरपोरेशन) के इंजीनियरों तथा बिजली कर्मचारियों (नियमित के साथ साथ आउटसोर्स/संविदा पर आधारित दोनों) द्वारा की जाने वाली हड़ताल को अन्य छः माह की अवधि के लिए दिनांक 04.01.2025 से 03.07.2025 तक प्रतिबंधित करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम पर

कुलविंदर सिंह, उप–सचिव (गृह)

HOME POICE-III DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 2nd January, 2025

F.No. 3/03/HESMA/2017/HP-II/03-13—Whereas vide Home Department, Govt. of NCT of Delhi notification No. F.3/03/HESMA/2017/HP-II/1529-1539 dated 03.07.2024, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi declared the services of Electricity Employees and Engineers of BSES Rajdhani Power Limited (BRPL), BSES Yamuna Power Limited (BYPL), Tata Power Delhi Distribution Limited (TPDDL) & DTL, IPGCL, PPCL (Govt. Power Corporation), engaged in the supply and distribution of Power, as essential Services and prohibited the strike of such Employees and Engineers for maintaining Services necessary for the people in the National Capital Territory of Delhi. The said notification is valid up to 03.01.2025.

And whereas, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is further satisfied that in the public interest, it is necessary and expedient to prohibit the strike/agitation by Engineers and Electricity Employees (both on the rolls as well as outsourced/contractual) of BSES Rajdhani Power Limited (BRPL), BSES Yamuna Power Limited (BYPL), Tata Power Delhi Distribution Limited (TPDDL) & DTL, IPGCL, PPCL (Govt. Power Corporation).

Now, therefore, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, in exercise of Powers conferred upon him under section 3 read with section 4A of the Haryana Essential Services Maintenance Act, 1974 (Haryana Act No. 40 of 1974) as extended to the National Capital Territory of Delhi, vide Govt. of India, Ministry of Home Affairs Notification No. GSR 526 (E) dated 30.7.93, hereby declares the above said services as essential services and prohibits the strike by Engineers and Electricity Employees (both on the rolls as well as outsourced/contractual) of BSES Rajdhani Power Limited (BRPL), BSES Yamuna Power Limited (BYPL), Tata Power Delhi Distribution Limited (TPDDL) & DTL, IPGCL, PPCL (Govt. Power Corporation), the power service providers in Delhi for another period of six months w.e.f. 04.01.2025 upto 03.07.2025.

By Order and in the Name of Lt. Governor
of National Capital Territory of Delhi.

KULVINDER SINGH, Dy. Secy. (Home)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2025.01.09 15:06:34 +05'30'